छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन नया रायपुर–492002

क्रमांक : एफ 25–7/2012/नौ/17–दो, नया रायपुर, दिनांक 20 MAR 2018

प्रति,

नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।

विषय :– खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 के प्रावधानों के तहत तम्बाकू युक्त गुटखा एवं पान मसाला के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध बाबत्।

संदर्भ :– आपका प्रस्ताव क्रमांक/खाद्य/63/14–15/2015/4863, दिनांक 23.10.2017.

–––00–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में आदेशानुसार लेख है कि खाद्य एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, विनियम 2011 के विनियम, 2.3.4 के तहत् जन स्वास्थ्य हित को दृष्टिगत रखते हुए, कोई भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू या निकोटिन संघटक के रूप में मिलाना प्रतिषेध है। अतः इसके लिए पृथक से अधिसूचना/आदेश जारी करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। इस पर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(के.के. मोटवानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

FOOD Controller

Scanned by CamScanner

353

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2016—भाद्रपद 2, शक 1938

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2016

आदेश

क्रमांक/खाऔ/प्रशा. /2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 . — खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 के अनुसरण में, किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा. जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. गुटखा एवं पान मसाला जिसमें तम्बाकू या निकोटीन घटक विद्यमान हो, जो बाजार में किसी भी नाम से उपलब्ध हो, के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं वितरण को आदेश क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 25-07-2012 के द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिषेध किया गया था, जिसमें अधिसूचना क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 22-07-2013 द्वारा वृद्धि की गई तथा आदेश क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 20-08-2014 द्वारा वृद्धि की गई तथा जिसमें आदेश क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 10-08-2015 द्वारा दिनांक 24-07-2016 तक क्रमवार पुन: वृद्धि की गई थी. प्रतिषेध अवधि दिनांक 24-07-2016 को समाप्त होगी.

अतएव, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 34) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 के अनुक्रम में आयुक्त खाद्य संरक्षा छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा गुटखा एवं पान मसाला तथा कोई खाद्य उत्पाद जिसमें तम्बाकू या निकोटीन घटक के रूप में विद्यमान हों ऐसे खाद्य पदार्थ जो किसी भी नाम से बाजार में जाने जाते हों, के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, लोक स्वास्थ्य हित को देखते हुए दिनांक 25-07-2016 से आगामी एक वर्ष के लिए प्रतिषेध करता है.

हस्ता./-
(पी. व्ही. नरसिंग राव)
आयुक्त,
खाद्य संरक्षा, छत्तीसगढ़.

Scanned by CamScanner